

कार्यालय आयुक्त/पदेन सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
(भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित)

ब्लॉक 4 डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

website - tribal.cg.gov.in

☎ - 2263708 Fax - 2262558

E mail - eklavya.ctd@gmail.com

क्रमांक/EMRS/370/2024-25/1300

रायपुर दिनांक 4/6/2024

--- स्वीकृति आदेश ---

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली द्वारा शिक्षण सत्र 2024-25 में प्रदेश में 74 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। शिक्षण सत्र 2024-25 हेतु नीचे वर्णित तालिका में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के समक्ष कॉलम नं. 09 में उल्लेखित राशि संबंधित विद्यालयों को आवंटित करते हुये वित्तीय वर्ष 2023-24 में तालिका के कॉलम नं. 10 अनुसार PFMS पोर्टल पर दर्शित अंतिम शेष का समायोजन किया जाकर कॉलम नं. 11 पर उल्लेखित राशि संबंधित विद्यालयों को PFMS के माध्यम से आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रं.	जिला	विकासखंड	विद्यालय का नाम	स्वीकृत सीट 2024-25	(राशि लाख में)				(राशि रूपयों में)	
					कर्मचारी वेतन भत्ता	प्रत्यक्ष व्यय अंतर्गत मेस संचालन के अतिरिक्त अन्य मद हेतु	विद्यालय संचालन पर व्यय	कुल आवंटित राशि (6+7+8)	विद्यालयों के PFMS पोर्टल में वर्ष 2023-24 का अंतिम शेष (रूपयों में)	PFMS के अंतिम शेष के समायोजन उपरांत आवंटित राशि (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जगदलपुर	बकावण्ड	EMRS करपावण्ड	420	47.85	21.00	4.73	73.58	6492235	865765
2		बस्तर	EMRS बेसोली	420	13.89	21.00	4.73	39.62	3224875	737125
3		तोकापाल	EMRS मेटावाडा	360	9.05	18.00	4.05	31.10	736866	2373134
4		लोहांडीगुडा	EMRS गधियों	300	4.40	15.00	3.38	22.78	339315	1938685
5		बास्तानार	EMRS कोडेनार	300	8.95	15.00	3.38	27.33	395043	2337957
6		दरभा	EMRS छिंदवाड़ा	300	8.10	15.00	3.38	26.48	378231	2269769
7	कबीरधाम	बोडला	EMRS तरेगांव जंगल	420	46.17	21.00	4.73	71.90	2475882	4714118
8	कांकेर	अंतागढ़	EMRS लाम्कन्हार	420	45.76	21.00	4.73	71.49	4562844	2586156
9		कांकेर	EMRS अंजनी	360	8.37	18.00	4.05	30.42	1322319	1719681
10		नरहरपुर	EMRS सुरही	300	7.01	15.00	3.38	25.39	1540979	998021
11		मानुप्रतापपुर	EMRS फरासकोट	300	8.53	15.00	3.38	26.91	2279117	411883
12		दूर्गकोंदल	EMRS भंडारडिगी	300	6.88	15.00	3.38	25.26	631203	1894797
13	दंतेवाड़ा	कटेकल्याण	EMRS कटेकल्याण	420	53.08	21.00	4.73	78.81	2217864	5663136
14		दंतेवाड़ा	EMRS दंतेवाड़ा	360	10.18	18.00	4.05	32.23	933197	2289803
15		गीदम	EMRS हडम	300	9.08	15.00	3.38	27.46	989503	1756497
16		कुआकोण्डा	EMRS कुआँकोण्डा	300	8.80	15.00	3.38	27.18	1583786	1134214
17	बीजापुर	भैरमगढ़	EMRS भैरमगढ़	420	21.27	21.00	4.73	47.00	4343065	356935
18		बीजापुर	EMRS बीजापुर	360	9.28	18.00	4.05	31.33	3129774	3226
19		उसूर	EMRS डोंगीगुडा	300	6.95	15.00	3.38	25.33	2352888	180112
20		भोपालपट्टनम	EMRS रुद्राराम	300	16.96	15.00	3.38	35.34	3209285	324715
21	नारायणपुर	नारायणपुर	EMRS छेरीबेडा	420	21.31	21.00	4.73	47.04	4177642	526358
22		ओरछा	EMRS छोटेडोंगर	360	6.60	18.00	4.05	28.65	1580061	1284939
23	सुकमा	सुकमा	EMRS सुकमा	420	17.05	21.00	4.73	42.78	2996424	1281576
24		कोटा	EMRS एरबोर	360	10.45	18.00	4.05	32.50	1857984	1392016
25		छिंदगढ़	EMRS बलातीकरा	300	9.35	15.00	3.38	27.73	2314562	458438
26	कोण्डागांव	कोण्डागांव	EMRS गोलाबंड	420	16.36	21.00	4.73	42.09	2871097	1337903
27		फरसगांव	EMRS चिचाडी	300	9.53	15.00	3.38	27.91	1367824	1423176
28		केशकाल	EMRS बेडमा	300	10.45	15.00	3.38	28.83	1050834	1832166
29		बडराजपुर	EMRS कोरगांव	300	24.72	15.00	3.38	43.10	4025239	284761
30		माकडी	EMRS माकडी	300	12.82	15.00	3.38	31.20	1176876	1943124

क्रं.	जिला	विकासखंड	विद्यालय का नाम	स्वीकृत सीट 2024-25	(राशि लाख में)				(राशि रूपयों में)	
					कर्मचारी वेतन भत्ता	प्रत्यक्ष व्यय अंतर्गत मेस संचालन के अतिरिक्त अन्य मद हेतु	विद्यालय संचालन पर व्यय	कुल आवंटित राशि (6+7+8)	विद्यालयों के PFMS पोर्टल में वर्ष 2023-24 का अंतिम शेष (रूपयों में)	PFMS के अंतिम शेष के समायोजन उपरांत आवंटित राशि (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	कोरिया	खडगवां	EMRS पोड़ीडीह	420	17.10	21.00	4.73	42.83	423137	3859863
32		सोनहत	EMRS घुघरा	360	9.08	18.00	4.05	31.13	2935550	177450
33		भरतपुर	EMRS जमथान	300	11.14	15.00	3.38	29.52	1172033	1779967
34	जशपुर	बगीचा	EMRS सन्ना	420	61.88	21.00	4.73	87.61	6531951	2229049
35		जशपुर	EMRS घोलेग	360	17.65	18.00	4.05	39.70	3717868	252132
36		कांसाबेल	EMRS दुढरुडांड	300	18.61	15.00	3.38	36.99	3499448	199552
37		पथलगांव	EMRS सुखरापारा	300	14.12	15.00	3.38	32.50	3088543	161457
38		फरसाबहार	EMRS फरसाबहार	120	7.50	6.00	1.35	14.85	1433124	51876
39	सरगुजा	मैनपाट	EMRS कमलेश्वरपुर	420	68.10	21.00	4.73	93.83	2922005	6460995
40		उदयपुर	EMRS रीखी	360	10.28	18.00	4.05	32.33	2927048	305952
41		बतौली	EMRS शिवपुर	300	9.49	15.00	3.38	27.87	1363019	1423981
42		सीतापुर	EMRS पेतला	300	11.00	15.00	3.38	29.38	1323616	1614384
43		लूण्ड्रा	EMRS लुण्ड्रा	180	8.11	9.00	2.03	19.14	475584	1438416
44	सूरजपुर	भैयाथान	EMRS शिवप्रसादनगर	420	64.16	21.00	4.73	89.89	2753789	6235211
45		प्रतापपुर	EMRS खोरमा	360	23.10	18.00	4.05	45.15	4259558	255442
46		ओडगी	EMRS ओडगी	360	18.98	18.00	4.05	41.03	3988005	114995
47		प्रेमनगर	EMRS पार्वतीपुर	300	8.62	15.00	3.38	27.00	2671353	28647
48	राजनांदगांव	राजनांदगांव	EMRS पेण्डी	420	42.28	21.00	4.73	68.01	6704168	96832
49	मोहला—मानपुर—चौकी	मानपुर	EMRS खासफडकी	360	31.35	18.00	4.05	53.40	5219784	120216
50		मोहला	EMRS माडिंग फीडिंग धेनु	300	29.70	15.00	3.38	48.08	4798810	9190
51	बालोद	डौंडी	EMRS डौण्डी	420	25.40	21.00	4.73	51.13	2198269	2914731
52	बलौदाबाजार	कसडोल	EMRS सोनाखान	420	33.37	21.00	4.73	59.10	5811264	98736
53	महासमुन्द	महासमुन्द	EMRS भोरिंग	420	17.10	21.00	4.73	42.83	3805563	477437
54	धमतरी	नगरी	EMRS पथरडीह	420	16.23	21.00	4.73	41.96	931919	3264081
55	गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही	मरवाही	EMRS डोंगरिया	420	18.01	21.00	4.73	43.74	3947257	426743
56		पेण्ड्रा	EMRS लाटा	360	13.61	18.00	4.05	35.66	2942088	623912
57		गौरेला	EMRS नेवसा	300	11.83	15.00	3.38	30.21	2810526	210474
58	रायगढ़	खरसिया	EMRS छोटमुडपार	420	49.40	21.00	4.73	75.13	4541775	2971225
59		धरमंजयगढ़	EMRS बयासी	360	18.98	18.00	4.05	41.03	4028160	74840
60		घरघोडा	EMRS छरटांगर	300	18.98	15.00	3.38	37.36	3562183	173817
61		लैलूंगा	EMRS लैलूंगा	180	7.01	9.00	2.03	18.04	1535127	268873
62	कोरबा	कटघोरा	EMRS छुरीकला	420	15.53	21.00	4.73	41.26	2640451	1485549
63		पाली	EMRS लाफा	360	9.65	18.00	4.05	31.70	2144741	1025259
64		पोड़ीउपरोडा	EMRS रामपुर	300	7.31	15.00	3.38	25.69	2404129	164871
65	सक्ती	सक्ती	EMRS पलाडीखुर्द	420	22.60	21.00	4.73	48.33	3616635	1216365
66	बलरामपुर	बलरामपुर	EMRS भेलवाडीह	420	16.50	21.00	4.73	42.23	1705445	2517555
67		कुसमी	EMRS रामनगर	360	10.04	18.00	4.05	32.09	1782711	1426289
68		वाङ्गफनगर	EMRS बरतीकला	360	8.55	18.00	4.05	30.60	508723	2551277
69		राजपुर	EMRS डांडखडुवां	300	15.09	15.00	3.38	33.47	1759520	1587480
70		शंकरगढ़	EMRS डीपाडीह	300	10.79	15.00	3.38	29.17	3006	2913994
71		रामचंद्रपुर	EMRS नवापारा	300	13.06	15.00	3.38	31.44	703726	2440274
72	गरियाबद	छुरा	EMRS कोसमबुडा	420	15.13	21.00	4.73	40.86	636048	3449952
73		मैनपुर	EMRS देहागुडा	300	19.49	15.00	3.38	37.87	2090986	1696014
74	मुंगेली	लोरमी	EMRS बंधवा	420	38.33	21.00	4.73	64.06	6066335	339665
				25800	1403.44	1290.00	290.53	2983.97	190941794	107455206

(शब्दों में आवंटित राशि रुपये उनतीस करोड़ तिरासी लाख संतानवे हजार मात्र)

आवंटन की शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. भारत सरकार, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली के पत्र क्रमांक NESTS/Finance/EMRSSocietiesfinance/160/2021-22 दिनांक 15.11.2022 द्वारा जारी मदवार ब्रेकअप अनुसार राशि व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।
2. प्रत्यक्ष व्यय अंतर्गत मेस संचालन, गणवेश एवं ब्लेजर के अतिरिक्त अन्य मद यथा स्कूल बैग, टाई, बेल्ट, जूता, मोजा, टीशर्ट, लोवर, ट्रेक शूट, दैनिक उपयोग की सामग्री, पुस्तक, कॉपिया, लेखन सामग्री एवं अन्य व्यय हेतु राशि आवंटित की जा रही है, जिसका कार्यालयीन पत्र क्रमांक/EMRS/G-35/2023-24/9483, दिनांक 28.11.2023 के पृ.क. 5 पर दर्शित कंडिका 12-“विद्यार्थियों के लिये “विद्यार्थियों पर प्रत्यक्ष व्यय” अंतर्गत मेस संचालन के अतिरिक्त अन्य मदों हेतु निर्धारित व्यय सीमा के भीतर ही व्यय किया जाये।
3. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा जारी “सामान्य वित्तीय नियमावली 2017” में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही राशि का व्यय किया जावे।
4. भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के Government e-Marketplace (GEM पोर्टल) में दर्शित के माध्यम से सामग्रियों का क्रय किया जाना सुनिश्चित करें।
5. उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु आवंटित की जा रही है, जिस मद में राशि आवंटित की गई है उसी मद में ही व्यय किया जावे अन्यथा वित्तीय अनियमितता मानते हुए कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
6. आवंटित राशि जिस खाते में हस्तांतरित की जा रही है उसी खाते से केवल PFMS के माध्यम से ही राशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित करें। अन्य माध्यमों से व्यय किये जाने पर वित्तीय अनियमितता मानते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
7. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिये जारी की गई राशि प्राचार्य एवं सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के माध्यम से कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात् व्यय की जायेगी।
8. राज्य शासन द्वारा सामग्री क्रय हेतु निर्धारित भंडार क्रय नियमों एवं वित्तीय निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
9. प्रत्येक माह का मासिक व्यय पत्रक मदवार निर्धारित प्रपत्रों में भेजना सुनिश्चित करें।
10. प्रदायित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त/पदेन सचिव द्वारा अनुमोदित)


(आनंद तिवारी)
वित्त नियंत्रक

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़
नवा रायपुर दिनांक 4/6/2024

पृ. क्रमांक/EMRS/370/2024-25/1301
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर/अध्यक्ष, जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, जिला-..... (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी, एकलव्य शाखा (लेखा) मुख्यालय, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राशि संबंधित विद्यालय के संयुक्त खाते में PFMS के माध्यम से हस्तांतरित कराना सुनिश्चित करें।
4. आहरण एवं सवितरण अधिकारी, मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सहायक आयुक्त/सदस्य सचिव, आदिवासी विकास एवं जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला-..... (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जिला (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।


वित्त नियंत्रक
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय आयुक्त/पदेन सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
(भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित)

website - tribal.cg.gov.in

ब्लॉक 4 डी, मूलतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

☎ - 2263708 Fax - 2262558

E mail - eklavya.ctd@gmail.com

क्रमांक/EMRS/370/2024-25/3419

रायपुर दिनांक 11/07/2024

-:: स्वीकृति आदेश ::-

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली द्वारा शिक्षण सत्र 2024-25 में प्रदेश में 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। शिक्षण सत्र 2024-25 हेतु नीचे दर्शित तालिका अनुसार निम्नांकित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के समक्ष कॉलम नं. 08 में दर्शित राशि PFMS के माध्यम से संबंधित विद्यालयों को आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

क.	जिले का नाम	विकासखंड का नाम	विद्यालय का नाम	प्रत्यक्ष व्यय अंतर्गत मेस संचालन हेतु	विद्यालय संचालन पर व्यय	शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जगदलपुर	बकावण्ड	EMRS करपावण्ड	21.54	9.46	2.60	33.60
2		बस्तर	EMRS बेसोली	20.40	9.46	2.60	32.46
3		तोकापाल	EMRS मेटावाड़ा	17.82	8.10	1.86	27.78
4		लोहांडीगुड़ा	EMRS गधियाँ	14.16	6.76	1.49	22.41
5		बास्तानार	EMRS कोडेनार	14.28	6.76	1.49	22.53
6		दरभा	EMRS छिंदवाड़ा	14.04	6.76	1.49	22.29
7	कबीरधाम	बोडला	EMRS तरेगांव जंगल	20.40	9.46	2.60	32.46
8	कांकेर	अंतागढ़	EMRS लाम्कन्हार	21.60	9.46	2.60	33.66
9		कांकेर	EMRS अंजनी	17.46	8.10	1.86	27.42
10		नरहरपुर	EMRS सुरही	14.34	6.76	1.49	22.59
11		भानुप्रतापपुर	EMRS फरासकोट	14.22	6.76	1.49	22.47
12		दूर्गकोंदल	EMRS भंडारडिगी	14.34	6.76	1.49	22.59
13	दंतेवाड़ा	कटेकल्याण	EMRS कटेकल्याण	20.40	9.46	2.60	32.46
14		दंतेवाड़ा	EMRS दंतेवाड़ा	16.80	8.10	1.86	26.76
15		गीदम	EMRS हड़म	13.62	6.76	1.49	21.87
16		कुआकोण्डा	EMRS कुआँकोण्डा	14.28	6.76	1.49	22.53
17	बीजापुर	भैरमगढ़	EMRS भैरमगढ़	21.60	9.46	2.60	33.66
18		बीजापुर	EMRS बीजापुर	17.70	8.10	1.86	27.66
19		उसूर	EMRS डोंगीगुड़ा	14.22	6.76	1.49	22.47
20		भोपालपट्टनम	EMRS रुद्राराम	14.40	6.76	1.49	22.65
21	नारायणपुर	नारायणपुर	EMRS छेरीबेड़ा	20.40	9.46	2.60	32.46
22		ओरछा	EMRS छोटेडोंगर	17.52	8.10	1.86	27.48
23	सुकमा	सुकमा	EMRS सुकमा	21.60	9.46	2.60	33.66
24		कोंटा	EMRS एराबोर	16.20	8.10	1.86	26.16
25		छिंदगढ़	EMRS बलातीकरा	14.34	6.76	1.49	22.59
26	कोण्डागांव	कोण्डागांव	EMRS गोलावंड	21.60	9.46	2.60	33.66
27		फरसगांव	EMRS चिचाडी	14.22	6.76	1.49	22.47
28		केशकाल	EMRS बेडमा	14.22	6.76	1.49	22.47
29		बड़ेराजपुर	EMRS कोरगांव	14.40	6.76	1.49	22.65
30		माकड़ी	EMRS माकड़ी	14.40	6.76	1.49	22.65

	2	3	4	5	6	7	8
31	कोरिया	खडगवां	EMRS पोड़ीडीह	21.60	9.46	2.60	33.66
32		सोनहत	EMRS घुघरा	17.76	8.10	1.86	27.72
33		भरतपुर	EMRS जमथान	14.28	6.76	1.49	22.53
34	जशपुर	बगीचा	EMRS सन्ना	21.60	9.46	2.60	33.66
35		जशपुर	EMRS घोलेंग	17.76	8.10	1.86	27.72
36		कांसाबेल	EMRS दुदरुडांड	14.28	6.76	1.49	22.53
37		पत्थलगांव	EMRS सुखरापारा	14.40	6.76	1.49	22.65
38		फरसाबहार	EMRS फरसाबहार	3.60	2.70	0.37	6.67
39	सरगुजा	मैनपाट	EMRS कमलेश्वरपुर	21.60	9.46	2.60	33.66
40		उदयपुर	EMRS रीखी	16.80	8.10	1.86	26.76
41		बतौली	EMRS शिवपुर	14.40	6.76	1.49	22.65
42		सीतापुर	EMRS पेतला	14.34	6.76	1.49	22.59
43		लूण्डा	EMRS लुण्डा	7.20	4.06	0.74	12.00
44	सूरजपुर	भैयाथान	EMRS शिवप्रसादनगर	21.00	9.46	2.60	33.06
45		प्रतापपुर	EMRS खोरमा	17.40	8.10	1.86	27.36
46		ओड़गी	EMRS ओड़गी	17.40	8.10	1.86	27.36
47		प्रेमनगर	EMRS पार्वतीपुर	14.10	6.76	1.49	22.35
48	राजनांदगांव	राजनांदगांव	EMRS पेण्डी	21.60	9.46	2.60	33.66
49	मोहला— मानपुर— चौकी	मानपुर	EMRS खासफडकी	17.40	8.10	1.86	27.36
50		मोहला	EMRS माडिंग फीडिंग धेनु	14.16	6.76	1.49	22.41
51	बालोद	डौंडी	EMRS डौण्डी	21.54	9.46	2.60	33.60
52	बलौदाबाजार	कसडोल	EMRS सोनाखान	21.00	9.46	2.60	33.06
53	महासमुन्द	महासमुन्द	EMRS भोरिंग	20.70	9.46	2.60	32.76
54	धमतरी	नगरी	EMRS पथरीडीह	20.28	9.46	2.60	32.34
55	गौरेला— पेण्ड्रा— मरवाही	मरवाही	EMRS डोंगरिया	21.60	9.46	2.60	33.66
56		पेण्ड्रा	EMRS लाटा	17.34	8.10	1.86	27.30
57		गौरेला	EMRS नेवसा	14.40	6.76	1.49	22.65
58	रायगढ़	खरसिया	EMRS छोटेमुड़पार	20.70	9.46	2.60	32.76
59		धरमंजयगढ़	EMRS बयासी	17.52	8.10	1.86	27.48
60		घरघोड़ा	EMRS छर्नाटांगर	14.40	6.76	1.49	22.65
61		लैलूंगा	EMRS लैलूंगा	7.20	4.06	0.74	12.00
62	कोरबा	कटघोरा	EMRS छुरीकला	21.48	9.46	2.60	33.54
63		पाली	EMRS लाफा	18.00	8.10	1.86	27.96
64		पोड़ीउपरोड़ा	EMRS रामपुर	13.74	6.76	1.49	21.99
65	सक्ती	सक्ती	EMRS पलाडीखुर्द	20.88	9.46	2.60	32.94
66	बलरामपुर	बलरामपुर	EMRS भेलवाडीह	21.60	9.46	2.60	33.66
67		कुसमी	EMRS रामनगर	17.28	8.10	1.86	27.24
68		वाङ्गफनगर	EMRS बरतीकला	17.88	8.10	1.86	27.84
69		राजपुर	EMRS डांडखडुवां	14.16	6.76	1.49	22.41
70		शंकरगढ़	EMRS डीपाडीह	14.34	6.76	1.49	22.59
71		रामचंद्रपुर	EMRS नवापारा	14.34	6.76	1.49	22.59
72	गरियाबंद	छुरा	EMRS कोसमबुड़ा	20.70	9.46	2.60	32.76
73		मैनपुर	EMRS देहागुड़ा	14.40	6.76	1.49	22.65
74	मुंगेली	लोरमी	EMRS बंधवा	20.70	9.46	2.60	32.76
		योग		1255.38	581.06	141.68	1978.12

(शब्दों में रुपये उन्नीस करोड़ अठहत्तर लाख बारह हजार मात्र)

टन की शर्तें निम्नानुसार है :-

1. भारत सरकार, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली के पत्र क्रमांक NESTS/Finance/EMRSSocietiesfinance/160/2021-22 दिनांक 15.11.2022 द्वारा जारी मदवार ब्रेकअप अनुसार राशि व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।
2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा जारी "सामान्य वित्तीय नियमावली 2017" में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही राशि का व्यय किया जावे।
3. भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के Government e-Marketplace (GEM पोर्टल) माध्यम से दर्शित सामग्रियों का क्रय किया जाना सुनिश्चित करें।
4. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/EMRS/G-35/2023-24/9483, दिनांक 28.11.2023 द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में मेस संचालन हेतु जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार मेस व्यय के लिये निर्धारित दर पर व्यय किया जाये तथा उक्त निर्देश के पृ.क्र.09 पर दर्शित परिशिष्ट "अ" "मेस व्यय की जानकारी" एवं परिशिष्ट "ब" "मेस डाईट व्यय की जानकारी" निर्धारित प्रपत्र में संकलित कर प्रतिमाह इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु आवंटित की जा रही है, जिस मद में राशि आवंटित की गई है उसी मद में ही व्यय किया जावे अन्यथा वित्तीय अनियमितता मानते हुए कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
6. आवंटित राशि जिस खाते में हस्तांतरित की जा रही है उसी खाते से केवल PFMS के माध्यम से ही राशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित करें। अन्य माध्यमों से व्यय किये जाने पर वित्तीय अनियमितता मानते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
7. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिये जारी की गई राशि प्राचार्य एवं सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के माध्यम से कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात् व्यय की जायेगी।
8. भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी सामग्री क्रय हेतु निर्धारित भंडार क्रय नियमों एवं वित्तीय निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
9. प्रत्येक माह का मासिक व्यय पत्रक मदवार निर्धारित प्रपत्रों में भेजना सुनिश्चित करें।
10. प्रदायित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त/पदेन सचिव द्वारा अनुमोदित)


(आनंद तिवारी)
वित्त नियंत्रक

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़
नवा रायपुर दिनांक 11/07/2024

पृ. क्रमांक/EMRS/370/2024-25/3420
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर/अध्यक्ष, जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, जिला-..... (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी, एकलव्य शाखा (लेखा) मुख्यालय, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राशि संबंधित विद्यालय के संयुक्त खाते में PFMS के माध्यम से हस्तांतरित कराना सुनिश्चित करें।
4. आहरण एवं सवितरण अधिकारी, मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सहायक आयुक्त/सदस्य सचिव, आदिवासी विकास एवं जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला-..... (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जिला (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।


वित्त नियंत्रक

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय आयुक्त/पदेन सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
(भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित)

website - tribal.cg.gov.in

☎ - 2263708 Fax - 2262558

E mail - eklavya.ctd@gmail.com

क्रमांक / EMRS / 370 / 2024-25 / 4755

रायपुर दिनांक 06/08/2024

—:: स्वीकृति आदेश ::—

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली द्वारा शिक्षण सत्र 2024-25 में प्रदेश में 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में नीचे दर्शित तालिका अनुसार निम्नांकित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय कर्मचारियों के वेतन-भत्तों हेतु "कर्मचारी वेतन भत्ता" मदांतर्गत कॉलम नं. 08 में दर्शित राशि PFMS के माध्यम से संबंधित विद्यालयों को आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रं.	जिला	विकासखंड	विद्यालय का नाम	आवंटित राशि (रुपये लाख में)
1	2	3	4	5
1	जगदलपुर	बकावण्ड	EMRS करपावण्ड	143.55
2	कबीरधाम	बोडला	EMRS तरेगांव जंगल	142.98
3	कांकेर	अंतागढ़	EMRS लाम्कन्हार	122.10
4	दंतेवाड़ा	कटेकल्याण	EMRS कटेकल्याण	159.24
5	नारायणपुर	नारायणपुर	EMRS छेरीबेड़ा	63.93
6	जशपुर	बगीचा	EMRS सन्ना	185.64
7	सरगुजा	मैनपाट	EMRS कमलेश्वरपुर	204.30
8	सूरजपुर	भैयाथान	EMRS शिवप्रसादनगर	192.48
9	रायगढ़	खरसिया	EMRS छोटेमुड़पार	148.20
योग				1362.42

(शब्दों में राशि रुपये तेरह करोड़ बासठ लाख बयालीस हजार मात्र)

आवंटन की शर्तें निम्नानुसार हैं :-

- भारत सरकार, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली के पत्र क्रमांक NESTS/Finance/EMRSSocietiesfinance/160/2021-22, दिनांक 15.11.2022 द्वारा जारी मदवार ब्रेकअप अनुसार राशि व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।
- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा जारी "सामान्य वित्तीय नियमावली 2017" में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही राशि का व्यय किया जावे।
- उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु आवंटित की जा रही है, जिस मद में राशि आवंटित की गई है उसी मद में ही व्यय किया जावे अन्यथा वित्तीय अनियमितता मानते हुए कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
- आवंटित राशि जिस खाते में हरतांतरित की जा रही है उसी खाते से केवल PFMS के माध्यम से ही राशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित करें। अन्य माध्यमों से व्यय किये जाने पर वित्तीय अनियमितता मानते हुये अनुशारानात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिये जारी की गई राशि प्राचार्य एवं सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के माध्यम से कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात् व्यय की जायेगी।
- भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी वित्तीय निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक माह का मासिक व्यय पत्रक मदवार निर्धारित प्रपत्रों में भेजना सुनिश्चित करें।
- प्रदायित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त/पदेन सचिव द्वारा अनुमोदित)

(आनंद तिवारी)
वित्त नियंत्रक

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़

प्रतिलिपि :-

1. **सचिव**, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. **कलेक्टर/अध्यक्ष**, जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, जिला-..... (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. **प्रभारी अधिकारी**, एकलव्य शाखा (लेखा) मुख्यालय, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राशि संबंधित विद्यालय के संयुक्त खाते में PFMS के माध्यम से हस्तांतरित कराना सुनिश्चित करें।
4. **आहरण एवं सवितरण अधिकारी**, मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. **सहायक आयुक्त/सदस्य सचिव**, आदिवासी विकास एवं जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला-.....(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. **प्राचार्य**, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयजिला(छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।



वित्त नियंत्रक

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय आयुक्त/पदेन सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
(भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित)

ब्लॉक 4 डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
 website - tribal.cg.gov.in ☎ - 2263708 Fax - 2262558 E mail - eklavya.ctd@gmail.com

कमांक/EMRS/370/2024-25/7226

रायपुर दिनांक 14/10/2024

—:: स्वीकृति आदेश ::—

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली द्वारा शिक्षण सत्र 2024-25 में प्रदेश में 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। शिक्षण सत्र 2024-25 हेतु नीचे दर्शित तालिका अनुसार निम्नांकित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के समक्ष कॉलम नं. 08 में दर्शित राशि PFMS के माध्यम से संबंधित विद्यालयों को आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

क.	जिले का नाम	विकासखंड का नाम	विद्यालय का नाम	कर्मचारी वेतन भत्ता	प्रत्यक्ष व्यय अंतर्गत मेस संचालन हेतु	विद्यालय संचालन पर व्यय	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जगदलपुर	बकावण्ड	EMRS करपावण्ड	0	31.20	13.16	44.36
2		बस्तर	EMRS बेसोली	4.11	31.44	13.26	48.81
3		तोकापाल	EMRS मेटावाड़ा	8.95	26.08	11.00	46.03
4		लोहांडीगुड़ा	EMRS गधियों	13.60	23.84	10.06	47.50
5		बास्तानार	EMRS कोडेनार	5.45	22.96	9.69	38.10
6		दरभा	EMRS छिंदवाड़ा	15.90	23.36	9.86	49.12
7	कबीरधाम	बोडला	EMRS तरेगांव जंगल	0	28.08	11.85	39.93
8	कांकेर	अंतागढ़	EMRS लाम्कन्हार	0	32.24	13.60	45.84
9		कांकेर	EMRS अंजनी	9.63	27.68	11.68	48.99
10		नरहरपुर	EMRS सुरही	7.99	23.76	10.02	41.77
11		भानुप्रतापपुर	EMRS फरासकोट	3.47	23.84	10.06	37.37
12		दूर्गकोंदल	EMRS भंडारडिगी	11.12	23.68	9.99	44.79
13	दंतेवाड़ा	कटेकल्याण	EMRS कटेकल्याण	0	31.04	21.30	52.34
14		दंतेवाड़ा	EMRS दंतेवाड़ा	7.82	27.28	11.51	46.61
15		गीदम	EMRS हड़म	5.92	22.32	9.42	37.66
16		कुआकोण्डा	EMRS कुआकोण्डा	3.20	23.36	9.86	36.42
17	बीजापुर	भैरमगढ़	EMRS भैरमगढ़	0	33.12	13.97	47.09
18		बीजापुर	EMRS बीजापुर	8.72	28.32	11.95	48.99
19		उसूर	EMRS दुगईगुड़ा	21.05	23.36	17.86	62.27
20		भोपालपट्टनम	EMRS रूद्राराम	12.04	24.00	18.11	54.15
21	नारायणपुर	नारायणपुर	EMRS छेरीबेड़ा	0	30.00	12.66	42.66
22		ओरछा	EMRS छोटेडोंगर	11.40	24.72	10.43	46.55
23	सुकमा	सुकमा	EMRS सुकमा	0.95	32.24	13.60	46.79
24		कोटा	EMRS एर्राबोर	5.15	23.92	10.09	39.16
25		छिंदगढ़	EMRS बलातीकरा	7.45	20.72	8.74	36.91
26	कोण्डागांव	कोण्डागांव	EMRS गोलावंड	0	31.28	13.20	44.48
27		फरसगांव	EMRS चिचाड़ी	5.47	23.76	10.02	39.25
28		केशकाल	EMRS बेडमा	4.55	23.12	9.75	37.42
29		बड़ेराजपुर	EMRS कोरगांव	0	23.52	9.92	33.44
30		माकड़ी	EMRS माकड़ी	5.18	23.36	9.86	38.40

1	2	3	4	5	6	7	8
31	कोरिया	खड़गावां	EMRS पोड़ीडीह	12.90	31.44	13.26	57.60
32		सोनहत	EMRS घुघरा	12.52	25.20	10.63	48.35
33		भरतपुर	EMRS जमथान	12.86	22.40	9.45	44.71
34	जशपुर	बगीचा	EMRS सन्ना	0	32.32	13.64	45.96
35		जशपुर	EMRS घोलेंग	0.35	28.24	11.91	40.50
36		कांसाबेल	EMRS दुढरुडांड	0	23.84	10.06	33.90
37		पत्थलगांव	EMRS सुखरापारा	0	23.84	10.06	33.90
38		फरसाबहार	EMRS फरसाबहार	0	8.56	3.61	12.17
39		मनोरा	EMRS मनोरा (धेंगनी)	5.00	4.20	1.76	10.96
40	सरगुजा	मैनपाट	EMRS कमलेश्वरपुर	0	26.80	11.31	38.11
41		उदयपुर	EMRS रीखी	13.72	23.12	9.75	46.59
42		बतौली	EMRS शिवपुर	14.51	22.80	9.62	46.93
43		सीतापुर	EMRS पेतला	0	23.28	9.82	33.10
44		लूण्ड्रा	EMRS लुण्ड्रा	9.89	13.04	5.50	28.43
45	सूरजपुर	भैयाथान	EMRS शिवप्रसादनगर	0	29.44	12.42	41.86
46		प्रतापपुर	EMRS खोरमा	0	26.64	11.24	37.88
47		ओड़गी	EMRS ओड़गी	0	25.60	10.80	36.40
48		प्रेमनगर	EMRS पार्वतीपुर	3.38	21.44	9.05	33.87
49	राजनांदगांव	राजनांदगांव	EMRS पेण्डी	0	30.24	12.76	43.00
50	मोहला—	मानपुर	EMRS ख्वासफड़की	0	28.00	11.81	39.81
51	मानपुर— अं.चौकी	मोहला	EMRS माडिग फीडिंग धेनु	0	18.08	7.63	25.71
52	बालोद	डौंडी	EMRS डौण्डी	0	33.28	14.04	47.32
53	बलौदाबाजार	कसडोल	EMRS सोनाखान	0	29.60	12.49	42.09
54	महासमुन्द	महासमुन्द	EMRS भोरिंग	12.90	32.88	13.87	59.65
55	धमतरी	नगरी	EMRS पथरीडीह	11.37	32.40	13.67	57.44
56	गौरेला— पेण्ड्रा— मरवाही	मरवाही	EMRS डोंगरिया	3.59	31.76	13.40	48.75
57		पेण्ड्रा	EMRS लाटा	4.39	23.60	9.96	37.95
58		गौरेला	EMRS नेवसा	2.57	23.04	9.72	35.33
59	रायगढ़	खरसिया	EMRS छोटेमुड़पार	0	29.76	12.56	42.32
60		धरमंजयगढ़	EMRS बयासी	5.02	26.00	10.97	41.99
61		घरघोड़ा	EMRS छर्राटांगर	1.02	23.52	9.92	34.46
62		लैलूंगा	EMRS लैलूंगा	14.59	14.00	5.91	34.50
63	कोरबा	कटघोरा	EMRS छुरीकला	9.67	29.84	12.59	52.10
64		पाली	EMRS लाफा	5.95	27.44	11.58	44.97
65		पोड़ीउपरोड़ा	EMRS रामपुर	14.99	23.76	10.02	48.77
66	सक्ती	सक्ती	EMRS पलाड़ीखुर्द	4.40	32.00	13.50	49.90
67	बलरामपुर	बलरामपुर	EMRS भेलवाडीह	1.50	30.48	12.86	44.84
68		कुसमी	EMRS रामनगर	5.56	28.16	11.88	45.60
69		वाङ्गनगर	EMRS बरतीकला	9.45	26.72	11.27	47.44
70		राजपुर	EMRS डांडखडुवां	29.51	23.36	9.86	62.73
71		शंकरगढ़	EMRS डीपाडीह	7.21	23.04	9.72	39.97
72		रामचंद्रपुर	EMRS नवापारा	4.94	23.28	9.82	38.04
73	गरियाबंद	छुरा	EMRS कोसमबुड़ा	8.87	32.64	13.77	55.28
74		मैनपुर	EMRS देहागुड़ा	8.51	23.44	9.89	41.84
75	मुंगेली	लोरमी	EMRS बंधवा	0	32.80	13.84	46.64
		योग		430.26	1932.92	839.68	3202.86

(शब्दों में राशि रुपये बत्तीस करोड़ दो लाख छियासी हजार मात्र)

आवंटन की शर्तें निम्नानुसार है :-

1. भारत सरकार, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली के पत्र क्रमांक NESTS/Finance/EMRSSocietiesfinance/160/2021-22 दिनांक 15.11.2022 द्वारा जारी मदवार ब्रेकअप अनुसार राशि व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।
2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा जारी "सामान्य वित्तीय नियमावली 2017" में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही राशि का व्यय किया जावे।
3. भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के Government e-Marketplace (GEM पोर्टल) माध्यम से दर्शित सामग्रियों का कय किया जाना सुनिश्चित करें।
4. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/EMRS/G-35/2023-24/9483, दिनांक 28.11.2023 द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में मेस संचालन हेतु जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार मेस व्यय के लिये निर्धारित दर पर व्यय किया जाये तथा उक्त निर्देश के पृ.क्र.09 पर दर्शित परिशिष्ट "अ" "मेस व्यय की जानकारी" एवं परिशिष्ट "ब" "मेस डाईट व्यय की जानकारी" निर्धारित प्रपत्र में संकलित कर प्रतिमाह इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु आवंटित की जा रही है, जिस मद में राशि आवंटित की गई है उसी मद में ही व्यय किया जावे अन्यथा वित्तीय अनियमितता मानते हुए कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
6. आवंटित राशि जिस खाते में हस्तांतरित की जा रही है उसी खाते से केवल PFMS के माध्यम से ही राशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित करें। अन्य माध्यमों से व्यय किये जाने पर वित्तीय अनियमितता मानते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
7. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिये जारी की गई राशि प्राचार्य एवं सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के माध्यम से कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात् व्यय की जायेगी।
8. भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी सामग्री कय हेतु निर्धारित भंडार कय नियमों एवं वित्तीय निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
9. प्रत्येक माह का मासिक व्यय पत्रक मदवार निर्धारित प्रपत्रों में भेजना सुनिश्चित करें।
10. प्रदायित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त/पदेन सचिव द्वारा अनुमोदित)

(आनंद तिवारी)

वित्त नियंत्रक

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़

नवा रायपुर दिनांक 14/10/2024

पृ. क्रमांक/EMRS/370/2024-25/7233

प्रतिलिपि :-

1. **स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव**, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. **कलेक्टर/अध्यक्ष**, जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, जिला-..... (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. **प्रभारी अधिकारी**, एकलव्य शाखा (लेखा) मुख्यालय, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राशि संबंधित विद्यालय के संयुक्त खाते में PFMS के माध्यम से हस्तांतरित कराना सुनिश्चित करें।
4. **आहरण एवं सवितरण अधिकारी**, मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. **सहायक आयुक्त/सदस्य सचिव**, आदिवासी विकास एवं जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला-..... (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. **प्राचार्य**, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जिला (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

वित्त नियंत्रक

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय आयुक्त/पदेन सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
 (भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित)

website - tribal.cg.gov.in

ब्लॉक 4 डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

☎ - 2263708 Fax - 2262558

E mail - eklavya.ctd@gmail.com

क्रमांक/EMRS/370/2024-25/7584

रायपुर दिनांक 18/11/2024

—: स्वीकृति आदेश :-

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली द्वारा शिक्षण सत्र 2024-25 में प्रदेश में 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। शिक्षण सत्र 2024-25 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए अनावर्ती मद में "पूँजीगत व्यय मदांतर्गत" नीचे दर्शित निम्नांकित एकलव्य विद्यालयों के समक्ष कॉलम नं. 05 में दर्शित राशि PFMS के माध्यम से संबंधित विद्यालयों को आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

क.	जिले का नाम	विकासखंड का नाम	विद्यालय का नाम	पूँजीगत मद में आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	जगदलपुर	बकावण्ड	EMRS करपावण्ड	12.34
2		बस्तर	EMRS बेसोली	12.43
3		तोकापाल	EMRS मेटावाड़ा	10.31
4		लोहांडीगुड़ा	EMRS गधियाँ	9.43
5		बास्तानार	EMRS कोडेनार	9.08
6		दरभा	EMRS छिंदवाड़ा	9.24
7	कांकेर	अंतागढ़	EMRS लाम्कन्हार	12.75
8		कांकेर	EMRS अंजनी	10.95
9		नरहरपुर	EMRS सुरही	9.40
10		भानुप्रतापपुर	EMRS फरासकोट	9.43
11		दूर्गकोंदल	EMRS भंडारडिगी	9.37
12	दंतेवाड़ा	कटेकल्याण	EMRS कटेकल्याण	12.28
13		दंतेवाड़ा	EMRS दंतेवाड़ा	10.79
14		गीदम	EMRS हडम	8.83
15		कुआकोण्डा	EMRS कुआँकोण्डा	9.24
16	बीजापुर	भैरमगढ़	EMRS भैरमगढ़	13.10
17		बीजापुर	EMRS बीजापुर	11.20
18		उसूर	EMRS दुगईगुड़ा	9.24
19		भोपालपट्टनम	EMRS रुद्राराम	9.49
20	नारायणपुर	नारायणपुर	EMRS छेरीबेड़ा	11.87
21		ओरछा	EMRS छोटेडोंगर	9.78
22	सुकमा	सुकमा	EMRS सुकमा	12.75
23		कोंटा	EMRS एरंबोर	9.46
24		छिंदगढ़	EMRS बलातीकरा	8.19
25	कोण्डागांव	कोण्डागांव	EMRS गोलावंड	12.37
26		फरसगांव	EMRS चिवाडी	9.40
27		केशकाल	EMRS बेडमा	9.14
28		बड़ेराजपुर	EMRS कोरगांव	9.30
29		माकड़ी	EMRS माकड़ी	9.24
30	कोरिया	खड़गवां	EMRS पोड़ीडीह	12.43
31		सोनहत	EMRS घुघरा	9.97
32		भरतपुर	EMRS जमथान	8.86

०१

क.	जिले का नाम	विकासखंड का नाम	विद्यालय का नाम	पूँजीगत मद में आवंटित राशि
1	2	3	4	5
33	जशपुर	बगीचा	EMRS सन्ना	12.78
34		जशपुर	EMRS घोलेँग	11.17
35		कांसाबेल	EMRS दुढरुडांड	9.43
36		पत्थलगांव	EMRS सुखरापारा	9.43
37		फरसाबहार	EMRS फरसाबहार	3.39
38		मनोरा	EMRS मनोरा (धेंगनी)	1.65
39	सरगुजा	मैनपाट	EMRS कमलेश्वरपुर	10.60
40		उदयपुर	EMRS रीखी	9.14
41		बतौली	EMRS शिवपुर	9.02
42		सीतापुर	EMRS पेतला	9.21
43		लूण्ड्रा	EMRS लुण्ड्रा	5.16
44	सूरजपुर	भैयाथान	EMRS शिवप्रसादनगर	11.64
45		प्रतापपुर	EMRS खोरमा	10.54
46		ओड़गी	EMRS ओड़गी	10.12
47		प्रेमनगर	EMRS पार्वतीपुर	8.48
48	राजनांदगांव	राजनांदगांव	EMRS पेण्ड्री	11.96
49	मोहला- मानपुर- अं. चौकी	मानपुर	EMRS ख्वासफडकी	11.07
50		मोहला	EMRS माडिग फीडिंग धेनु	7.15
51	बालोद	डौंडी	EMRS डौण्डी	13.16
52	बलौदाबाजार	कसडोल	EMRS सोनाखान	11.71
53	महासमुन्द	महासमुन्द	EMRS भोरिंग	13.00
54	धमतरी	नगरी	EMRS पथर्रीडीह	12.81
55	गौरेला- पेण्ड्रा- मरवाही	मरवाही	EMRS डोंगरिया	12.56
56		पेण्ड्रा	EMRS लाटा	9.33
57		गौरेला	EMRS नेवसा	9.11
58	रायगढ़	खरसिया	EMRS छोटेमुडपार	11.77
59		धरमंजयगढ़	EMRS बयासी	10.28
60		घरघोड़ा	EMRS छर्राटांगर	9.30
61		लैलूंगा	EMRS लैलूंगा	5.54
62	कोरबा	कटघोरा	EMRS छुरीकला	11.80
63		पाली	EMRS लाफा	10.85
64		पोडीउपरोडा	EMRS रामपुर	9.40
65	कबीरधाम	बोडला	EMRS तरेगांव जंगल	11.11
66	सक्ती	सक्ती	EMRS पलाडीखुर्द	12.66
67	बलरामपुर	बलरामपुर	EMRS भेलवाडीह	12.05
68		कुसमी	EMRS रामनगर	11.14
69		वाङ्गफनगर	EMRS बरतीकला	10.57
70		राजपुर	EMRS डांडखडुवां	9.24
71		शंकरगढ़	EMRS डीपाडीह	9.11
72		रामचंद्रपुर	EMRS नवापारा	9.21
73	गरियाबंद	छुरा	EMRS कोसमबुडा	12.91
74		मैनपुर	EMRS देहागुडा	9.27
75	मुंगेली	लोरमी	EMRS बंधवा	12.97
		योग		764.46

(शब्दों में राशि रुपये सात करोड़ चौसठ लाख छियालीस हजार मात्र)

पूँजीगत मद में आवंटित राशि का परिशिष्ट-1 (संस्थाओं से पूर्व में प्राथमिकता कम के मांग पत्र अनुसार) में दर्शित सामग्रियों के क्रय हेतु जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा प्राथमिकता कम निर्धारित कर नीचे दर्शित शर्तों का पालन सुनिश्चित करते हुये क्रय किया जावे :-

क्रं.	सामग्री का नाम
1.	छात्रावासों हेतु पलंग, गद्दा, तकिया, चादर, मच्छरदानी, कंबल, डायनिंग टेबल एवं अलमारी
2.	विद्यालयों हेतु Dual desk

आवंटन की शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. भारत सरकार, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली के पत्र क्रमांक NESTS/Finance/EMRSSocietiesfinance/160/2021-22 दिनांक 15.11.2022 द्वारा जारी मदवार ब्रेकअप अनुसार राशि व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।
2. भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, NESTS, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/F.NESTS/Finance/EMRSSocietiesFinance/160/2021-22, दिनांक 15.10.2024 द्वारा जेम पोर्टल के संबंध में जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।
3. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा जारी "सामान्य वित्तीय नियमावली 2017" में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही राशि का व्यय किया जावे।
4. पूँजीगत मद अंतर्गत सामग्रियों का क्रय अनिवार्य रूप से भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के Government e-Marketplace (GEM पोर्टल) से किया जाना सुनिश्चित करें।
5. एकलव्य विद्यालयों द्वारा पूँजीगत मद आवंटित राशि को जिला स्तर पर गठित क्रय समिति के माध्यम से नियमानुसार उच्च गुणवत्तायुक्त आवश्यक सामग्रियों का समय-सीमा के भीतर क्रय किया जावे तथा तकनीकी निविदा खुलते ही सामग्री का नमूना लिया जावे, नमूना अनुसार सामग्रियों का सत्यापन अधिकतम 10 दिवस के भीतर पूर्ण किया जावे तदोपरांत ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
6. उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु आवंटित की जा रही है, जिस मद में राशि आवंटित की गई है उसी मद में ही व्यय किया जावे अन्यथा वित्तीय अनियमितता मानते हुए कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
7. आवंटित राशि जिस खाते में हस्तांतरित की जा रही है उसी खाते से केवल PFMS के माध्यम से ही राशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित करें। अन्य माध्यमों से व्यय किये जाने पर वित्तीय अनियमितता मानते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
8. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिये जारी की गई राशि प्राचार्य एवं सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के माध्यम से कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात् व्यय की जायेगी।
9. भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी सामग्री क्रय हेतु निर्धारित भंडार क्रय नियमों एवं वित्तीय निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
10. प्रत्येक माह का मासिक व्यय पत्रक मदवार निर्धारित प्रपत्रों में भेजना सुनिश्चित करें।
11. प्रदायित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त/पदेन सचिव द्वारा स्वीकृत)



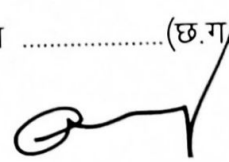
(आनंद तिवारी)

वित्त नियंत्रक

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, मा. मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर/अध्यक्ष, जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, जिला-..... (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. प्रभारी अधिकारी, एकलव्य शाखा (लेखा) मुख्यालय, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राशि संबंधित विद्यालय के संयुक्त खाते में PFMS के माध्यम से हस्तांतरित कराना सुनिश्चित करें।
5. आहरण एवं सवितरण अधिकारी, मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सहायक आयुक्त/सदस्य सचिव, आदिवासी विकास एवं जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला-.....(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयजिला(छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।



वित्त नियंत्रक

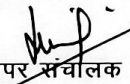
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में पूंजीगत मद अंतर्गत लगने वाली आवश्यक सामग्रियों जानकारी

परिशिष्ट - 1

क्र.	जिले का नाम	एकलव्य विद्यालय का नाम	पलंग	गद्दा	चादर	तकिया	गच्छरदानी	कंबल	विद्यार्थी डेस्क बेच	डायनिंग टेबल	अलमारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	रायगढ़	EMRS बयारी	180	220	360	300	360	300	80	15	18
2	रायगढ़	EMRS लैलूगा	60	60	120	120	120	120	32	10	10
3	रायगढ़	EMRS छर्राटागर	50	150	600	300	300	10	60	18	5
4	रायगढ़	EMRS छोटैमुडपार	180	420	400	420	420	420	90	12	20
5	सुकमा	EMRS एरबोर	40	60	250	360	360	60	80	10	6
6	सुकमा	EMRS सुकमा	10	200	600	420	420	200	95	18	4
7	सुकमा	EMRS छिदगढ़	75	80	180	300	300	100	55	12	2
8	जशपुर	EMRS फरसाबहार	60	60	360	120	120	120	30	6	5
9	जशपुर	EMRS सुखरापारा	60	60	300	300	300	300	40	15	10
10	जशपुर	EMRS दुर्दरुडांड	45	60	300	300	300	300	30	0	2
11	जशपुर	EMRS सन्ना	50	100	720	420	420	420	80	10	25
12	जशपुर	EMRS घोलेग	90	90	720	360	360	360	80	10	2
13	सरगुजा	EMRS लुण्ड्रा	60	120	240	120	180	120	30	15	10
14	सरगुजा	EMRS पेटला	62	62	62	62	62	122	30	15	10
15	सरगुजा	EMRS बतौली	63	63	63	63	63	123	63	15	11
16	सरगुजा	EMRS मैनपाट	60	60	788	394	350	0	90	10	10
17	सरगुजा	EMRS रिखी	120	200	720	200	360	200	90	12	10
18	गरियाबंद	EMRS मैनपुर	60	60	120	300	300	300	70	0	4
19	गरियाबंद	EMRS कोसमबुडा	0	120	480	240	60	60	90	10	10
20	गौ.पे.म.	EMRS नेवसा	120	120	200	300	300	0	80	8	10
21	गौ.पे.म.	EMRS डोंगरिया	60	220	420	420	420	270	80	10	8
22	गौ.पे.म.	EMRS लाटा	120	190	720	330	280	350	70	4	0
23	बलरामपुर	EMRS शंकरगढ़	12	10	0	240	150	60	0	0	0
24	बलरामपुर	EMRS भेलवाडीह	0	150	300	420	300	150	0	0	8
25	बलरामपुर	EMRS राजपुर	80	90	600	300	300	300	30	8	0
26	बलरामपुर	EMRS कुसमी	60	60	360	360	360	360	30	0	0
27	बलरामपुर	EMRS रामानुजगंज	80	80	300	300	300	180	30	15	5
28	बलरामपुर	EMRS वाङ्गनगर	120	360	360	360	120	180	60	0	0
29	महासमुद्र	EMRS भोरिंग	0	50	720	30	420	60	40	15	18
30	बीजापुर	EMRS भैरमगढ़	0	100	0	200	0	200	50	10	10
31	बीजापुर	EMRS दुर्गागुडा	0	60	300	300	300	300	30	5	4
32	बीजापुर	EMRS बीजापुर	0	0	0	100	0	80	80	10	10
33	बीजापुर	EMRS रुद्राम	60	60	300	300	300	300	30	18	0
34	दत्तेवाड़ा	EMRS कटेकल्याण	120	120	480	0	60	60	30	10	2
35	दत्तेवाड़ा	EMRS गीदम	120	180	180	60	60	180	60	10	5
36	दत्तेवाड़ा	EMRS कुआकोण्डा	100	180	180	60	60	180	60	10	5
37	दत्तेवाड़ा	EMRS दत्तेवाड़ा	0	0	0	0	0	0	50	16	5
38	बस्तर	EMRS बेसोली	75	100	420	420	360	360	80	18	30
39	बस्तर	EMRS गदिया	60	200	240	240	240	240	90	15	15
40	बस्तर	EMRS करपावण्ड	50	200	700	250	400	0	95	19	10
41	बस्तर	EMRS दरभा	70	70	300	120	240	0	80	16	20
42	बस्तर	EMRS तोकापाल	120	140	400	400	350	360	80	18	38
43	बस्तर	EMRS बास्तानार	110	110	350	320	300	0	90	15	0
44	धमतरी	EMRS पथरीडीह	60	120	420	420	420	200	85	0	55
45	कोण्डागांव	EMRS बेडमा	0	240	480	300	300	300	92	15	10
46	कोण्डागांव	EMRS चिचाडी	80	200	480	300	300	280	60	12	10
47	कोण्डागांव	EMRS गोलावण्ड	60	0	720	0	0	240	98	0	0
48	कोण्डागांव	EMRS कोरगांव	0	200	600	300	300	300	84	15	10
49	कोण्डागांव	EMRS माकडी	60	100	600	300	300	300	60	12	10
50	एम सीबी.	EMRS जमथान	70	80	500	250	300	300	60	5	0
51	एम सीबी.	EMRS पोडीडीह	0	120	420	420	420	200	80	5	4
52	कांकेर	EMRS अंतागढ़	200	200	420	420	420	420	94	19	25
53	कांकेर	EMRS भानुप्रतापपुर	120	80	600	300	300	300	10	10	4
54	कांकेर	EMRS कांकेर	65	100	720	100	180	360	0	0	5

	एकलव्य विद्यालय का नाम	पलंग	गद्दा	चादर	तकिया	मच्छरदानी	कंबल	विद्यार्थी डेस्क बेंच	डायनिंग टेबल	अलमारी	
	कांकर	EMRS नरहरपुर	60	60	120	300	60	60	30	5	2
	कांकर	EMRS दुर्गकोदल	60	200	480	240	240	120	60	15	15
57	मुंगेली	EMRS बंधवा	0	240	420	420	420	200	0	0	6
58	कबीरधाम	EMRS तरेगांवजंगल	50	50	400	400	200	200	30	10	10
59	मो.मा.अ.चौ.	EMRS मोहला	180	190	350	450	350	400	60	18	10
60	मो.मा.अ.चौ.	EMRS मानपुर	120	160	720	460	450	350	65	14	10
61	सूरजपुर	EMRS शिवप्रसादनगर	0	0	200	400	400	120	78	4	0
62	सूरजपुर	EMRS ओड़गी	60	60	360	360	360	120	60	6	10
63	सूरजपुर	EMRS प्रतापपुर	60	60	360	360	360	120	60	6	10
64	सूरजपुर	EMRS प्रेमनगर	60	60	300	300	300	120	60	4	10
65	कोरबा	EMRS लाफा	100	100	600	300	200	150	80	10	6
66	कोरबा	EMRS पोडीउपरोड़ा	0	0	210	60	0	0	60	8	2
67	कोरबा	EMRS छुरीकला	0	0	410	0	360	200	80	5	10
68	बालोद	EMRS डौण्डी	120	120	720	320	420	120	40	20	10
69	राजनांदगांव	EMRS पेण्डी	0	240	720	420	420	420	78	0	40
70	नारायणपुर	EMRS छेरीबेड़ा	60	60	400	200	200	200	60	15	10
71	नारायणपुर	EMRS ओरछा	60	60	400	300	200	200	60	15	15
72	सक्ति	EMRS पलाडीखुर्द	0	100	200	200	450	200	88	12	15
73	बलौदाबाजार	EMRS सोनाखान	0	420	840	420	420	420	0	15	20
74	कोरिया	EMRS सोनहत	60	60	360	60	360	360	60	8	4
	योग		4627	8775	29743	20009	20185	15085	4372	746	725


 अपर सचिव
 अदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
 छत्तीसगढ़ नवा रायपुर

कार्यालय आयुक्त/पदेन सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
(भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित)

website - tribal.cg.gov.in

ब्लॉक 4 डी, भूतल, इन्द्रायती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
 ☎ - 2263708 Fax - 2262558

E mail - eklavya.ctd@gmail.com

क्रमांक/EMRS/256/2024-25/8865

रायपुर दिनांक 22/11/2024

--: स्वीकृति आदेश ::--

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली द्वारा शिक्षण सत्र 2024-25 में प्रदेश में 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। शिक्षण सत्र 2024-25 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए "विद्यार्थियों पर प्रत्यक्ष व्यय" मदांतर्गत ब्लेजर प्रदाय करने हेतु नीचे दर्शित निम्नांकित एकलव्य विद्यालयों के समक्ष कॉलम नं. 05 में दर्शित राशि PFMS के माध्यम से संबंधित विद्यालयों को आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

क.	जिले का नाम	विकासखंड का नाम	विद्यालय का नाम	प्रत्यक्ष व्यय मदांतर्गत आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	जगदलपुर	बकावण्ड	EMRS करपावण्ड	6.24
2		बस्तर	EMRS बेसोली	6.03
3		तोकापाल	EMRS मेटावाड़ा	5.31
4		लोहांडीगुड़ा	EMRS गधियों	4.47
5		बास्तानार	EMRS कोडेनार	4.46
6		दरभा	EMRS छिंदवाड़ा	4.38
7	कबीरधाम	बोडला	EMRS तरेगांव जंगल	5.42
8	कांकेर	अंतागढ़	EMRS लाम्कन्हार	6.15
9		कांकेर	EMRS अंजनी	5.37
10		नरहरपुर	EMRS सुरही	4.49
11		भानुप्रतापपुर	EMRS फरासकोट	4.49
12		दूर्गकोंदल	EMRS भंडारडिगी	4.47
13	दंतेवाड़ा	कटेकल्याण	EMRS कटेकल्याण	5.91
14		दंतेवाड़ा	EMRS दंतेवाड़ा	5.22
15		गीदम	EMRS हड़म	4.19
16		कुआकोण्डा	EMRS कुआँकोण्डा	4.40
17	बीजापुर	भैरमगढ़	EMRS भैरमगढ़	6.21
18		बीजापुर	EMRS बीजापुर	5.37
19		उसूर	EMRS दुर्गागुड़ा	4.38
20		भोपालपट्टनम	EMRS रुद्राराम	4.50
21	नारायणपुर	नारायणपुर	EMRS छेरीबेड़ा	5.75
22		ओरछा	EMRS छोटेडोंगर	5.03
23	सुकमा	सुकमा	EMRS सुकमा	6.27
24		कोंटा	EMRS एराबोर	5.40
25		छिंदगढ़	EMRS बलातीकरा	4.49
26	कोण्डागांव	कोण्डागांव	EMRS गोलावंड	5.93
27		फरसागांव	EMRS घिचाडी	4.47
28		केशकाल	EMRS बेडमा	4.40
29		बड़ेराजपुर	EMRS कोरगांव	4.49
30		माकड़ी	EMRS माकड़ी	4.47
31	कोरिया	खड़गावां	EMRS पोडीडीह	6.11
32		सोनहत	EMRS धुधरा	5.12
33		भरतपुर	EMRS जमथान	4.44

क.	जिले का नाम	विकासखंड का नाम	विद्यालय का नाम	प्रत्यक्ष व्यय मदांतर्गत आवंटित राशि
1	2	3	4	5
34	जशपुर	बगीचा	EMRS सन्ना	6.15
35		जशपुर	EMRS घोलेंग	5.31
36		कांसावेल	EMRS दुढरुडांड	4.49
37		पत्थलगांव	EMRS सुखरापारा	4.50
38		फरसाबहार	EMRS फरसाबहार	1.80
39		मनोरा	EMRS मनोरा (धेंगनी)	0.90
40	सरगुजा	मैनपाट	EMRS कमलेश्वरपुर	5.81
41		उदयपुर	EMRS रीखी	5.00
42		बतौली	EMRS शिवपुर	4.40
43		सीतापुर	EMRS पेतला	4.49
44		लूण्ड्रा	EMRS लुण्ड्रा	2.70
45	सूरजपुर	भैयाथान	EMRS शिवप्रसादनगर	5.72
46		प्रतापपुर	EMRS खोरमा	5.28
47		ओडगी	EMRS ओडगी	5.25
48		प्रेमनगर	EMRS पार्वतीपुर	4.37
49	राजनांदगांव	राजनांदगांव .	EMRS पेण्डी	5.91
50	मोहला- मानपुर- अं.चौकी	मानपुर	EMRS ख्वासफड़की	5.39
51		मोहला	EMRS माडिग फीडिंग धेनु	4.46
52	बालोद	डौंडी	EMRS डौण्डी	6.24
53	बलौदाबाजार	कसडोल	EMRS सोनाखान	5.91
54	महासमुन्द	महासमुन्द	EMRS भोरिंग	6.27
55	धमतरी	नगरी	EMRS पथरीडीह	6.23
56	गौरेला- पेण्ड्रा- मरवाही	मरवाही	EMRS डोंगरिया	5.90
57		पेण्ड्रा	EMRS लाटा	5.15
58		गौरेला	EMRS नेवसा	4.44
59	रायगढ़	खरसिया	EMRS छोटेमुड़पार	5.61
60		धरमंजयगढ़	EMRS बयासी	5.12
61		घरघोड़ा	EMRS छरटांगर	4.50
62		लैलूंगा	EMRS लैलूंगा	2.70
63	कोरबा	कटघोरा	EMRS छुरीकला	5.97
64		पाली	EMRS लाफा	5.34
65		पोडीउपरोड़ा	EMRS रामपुर	4.50
66	सक्ती	सक्ती	EMRS पलाडीखुर्द	6.14
67	बलरामपुर	बलरामपुर	EMRS भेलवाडीह	5.75
68		कुसमी	EMRS रागनगर	5.28
69		वाड्रफनगर	EMRS बरतीकला	5.30
70		राजपुर	EMRS डांडखडुवां	4.38
71		शंकरगढ़	EMRS डीपाडीह	4.44
72		रामचंद्रपुर	EMRS नवापारा	4.43
73	गरियाबंद	छुरा	EMRS कोसमबुड़ा	6.23
74		मैनपुर	EMRS देहागुड़ा	4.41
75	मुंगेली	लोरमी	EMRS बंधवा	6.26
		योग		376.26

(शब्दों में आवंटित राशि रुपये तीन करोड़ छिहत्तर लाख छब्बीस हजार मात्र)

आवंटन की शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. भारत सरकार, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली के पत्र क्रमांक NESTS/Finance/EMRSSocietiesfinance/160/2021-22, दिनांक 15.11.2022 द्वारा जारी मदवार ब्रेकअप अनुसार राशि व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।
2. भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, NESTS, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/F.NESTS/Finance/EMRSSocietiesFinance/160/2021-22, दिनांक 15.10.2024 द्वारा जेम पोर्टल के संबंध में जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।
3. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा जारी "सामान्य वित्तीय नियमावली 2017" में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही राशि का व्यय किया जावे।
4. भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी सामग्री क्रय हेतु निर्धारित भंडार क्रय नियमों एवं वित्तीय निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्यक्ष व्यय मदांतर्गत ब्लेजर संबंधी सामग्रियों का क्रय नियमानुसार व भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के Government e-Marketplace (GEM पोर्टल) से किया जाना सुनिश्चित करें।
6. उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु आवंटित की जा रही है, जिस मद में राशि आवंटित की गई है उसी मद में ही व्यय किया जावे अन्यथा वित्तीय अनियमितता मानते हुए कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
7. आवंटित राशि जिस खाते में हस्तांतरित की जा रही है उसी खाते से केवल PFMS के माध्यम से ही राशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित करें। अन्य माध्यमों से व्यय किये जाने पर वित्तीय अनियमितता मानते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
8. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिये जारी की गई राशि प्राचार्य एवं सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के माध्यम से कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात् व्यय की जायेगी।
9. प्रत्येक माह का मासिक व्यय पत्रक मदवार निर्धारित प्रपत्रों में भेजना सुनिश्चित करें।
10. प्रदायित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना सुनिश्चित करें।

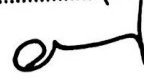
(आयुक्त/पदेन सचिव द्वारा स्वीकृत)


(आनंद तिवारी)
वित्त नियंत्रक

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़
नवा रायपुर दिनांक 22/11/2024

पृ. क्रमांक/EMRS/256/2024-25/8866
प्रतिलिपि :-

1. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर/अध्यक्ष, जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, जिला-..... (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. प्रभारी अधिकारी, एकलव्य शाखा (लेखा) मुख्यालय, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राशि संबंधित विद्यालय के संयुक्त खाते में PFMS के माध्यम से हस्तांतरित कराना सुनिश्चित करें।
5. आहरण एवं सवितरण अधिकारी, मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सहायक आयुक्त/सदस्य सचिव, आदिवासी विकास एवं जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला-..... (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जिला (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।


वित्त नियंत्रक

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय आयुक्त/पदेन सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
(भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित)
ब्लॉक 4 डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
 website - tribal.cg.gov.in ☎ - 2263708 Fax - 2262558 E mail - eklavya.ctd@gmail.com

क्रमांक/EMRS/370/2024-25/9435

रायपुर दिनांक 04/12/2024

-:: स्वीकृति आदेश ::-

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली द्वारा शिक्षण सत्र 2024-25 में प्रदेश में 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। शिक्षण सत्र 2024-25 हेतु नीचे दर्शित तालिका अनुसार निम्नांकित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के समक्ष कॉलम नं. 08 में दर्शित राशि PFMS के माध्यम से संबंधित विद्यालयों को आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

क.	जिले का नाम	विकासखंड का नाम	विद्यालय का नाम	कर्मचारी वेतन भत्ता	प्रत्यक्ष व्यय अंतर्गत मेस संचालन के अतिरिक्त अन्य मद हेतु	विद्यालय संचालन पर व्यय	शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियां	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जगदलपुर	बकावण्ड	EMRS करपावण्ड	0	4.99	0	2.00	6.99
2		बस्तर	EMRS बेसोली	0	4.82	0	2.00	6.82
3		तोकापाल	EMRS मेटावाड़ा	0	4.25	0	1.50	5.75
4		लोहांडीगुड़ा	EMRS गधियाँ	0	3.58	0	1.50	5.08
5		बास्तानार	EMRS कोडेनार	5.00	4.80	4.00	1.90	15.70
6		दरभा	EMRS छिंदवाड़ा	0	3.50	0	1.50	5.00
7	कबीरधाम	बोडला	EMRS तरेगांव जंगल	0	4.33	0	2.00	6.33
8	सरगुजा	मैनपाट	EMRS कमलेश्वरपुर	0	4.64	0	2.60	7.24
9		उदयपुर	EMRS रीखी	0	4.00	0	1.50	5.50
10		बतौली	EMRS शिवपुर	0	3.52	0	1.00	4.52
11		सीतापुर	EMRS पेतला	0	3.59	0	1.00	4.59
12		लूण्ड्रा	EMRS लुण्ड्रा	0	2.16	0	0.50	2.66
13	दंतेवाड़ा	कटेकल्याण	EMRS कटेकल्याण	0	4.73	0	2.50	7.23
14		दंतेवाड़ा	EMRS दंतेवाड़ा	0	4.18	0	1.50	5.68
15		गीदम	EMRS हड़म	0	3.35	9.00	1.50	13.85
16		कुआकोण्डा	EMRS कुआँकोण्डा	0	3.52	0	1.50	5.02
17	बीजापुर	भैरमगढ़	EMRS भैरमगढ़	0	4.97	0	2.50	7.47
18		बीजापुर	EMRS बीजापुर	0	4.30	0	1.50	5.80
19		उसूर	EMRS दुर्गागुड़ा	0	3.50	0	1.50	5.00
20		भोपालपट्टनम	EMRS रुद्राराम	0	3.60	0	1.50	5.10
21	नारायणपुर	नारायणपुर	EMRS छेरीबेड़ा	0	4.60	0	2.50	7.10
22		ओरछा	EMRS छोटेडोंगर	0	4.02	0	1.50	5.52
23	सुकमा	सुकमा	EMRS सुकमा	0	5.02	0	2.50	7.52
24		कोंटा	EMRS एर्राबोर	0	4.32	0	1.50	5.82
25		छिंदगढ़	EMRS बलातीकरा	0	3.59	0	1.00	4.59
26	कोण्डागांव	कोण्डागांव	EMRS गोलावंड	0	4.74	0	2.50	7.24
27		फरसगांव	EMRS चिचाड़ी	0	3.58	0	1.00	4.58
28		केशकाल	EMRS बेडमा	0	3.52	0	1.00	4.52
29		बड़ेराजपुर	EMRS कोरगांव	0	3.59	0	1.00	4.59
30		माकड़ी	EMRS माकड़ी	0	3.58	0	1.00	4.58

क.	जिले का नाम	विकासखंड का नाम	विद्यालय का नाम	कर्मचारी वेतन भत्ता	प्रत्यक्ष व्यय अंतर्गत मेस संचालन के अतिरिक्त अन्य मद हेतु	विद्यालय संचालन पर व्यय अंतर्गत केवल विद्युत व्यय हेतु	शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियां	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	कोरिया	खडगवां	EMRS पोडीडीह	0	4.88	0	2.50	7.38
32		सोनहत	EMRS घुघरा	0	4.09	0	1.50	5.59
33		भरतपुर	EMRS जमथान	0	3.55	0	1.50	5.05
34	जशपुर	बगीचा	EMRS सन्ना	0	4.92	0	2.50	7.42
35		जशपुर	EMRS घोलेंग	0	4.25	0	1.50	5.75
36		कांसाबेल	EMRS दुढरुडांड	0	3.59	0	1.00	4.59
37		पत्थलगांव	EMRS सुखरापारा	9.00	3.60	0	1.00	13.60
38		फरसाबहार	EMRS फरसाबहार	8.00	1.44	0	0.50	9.94
39		मनोरा	EMRS मनोरा (धेंगनी)	0	0.72	0	0.50	1.22
40	कांकेर	अंतागढ	EMRS लाम्कन्हार	0	4.92	0	2.50	7.42
41		कांकेर	EMRS अंजनी	0	4.30	18.00	1.50	23.80
42		नरहरपुर	EMRS सुरही	0	3.59	0	1.00	4.59
43		भानुप्रतापपुर	EMRS फरासकोट	0	3.59	0	1.00	4.59
44		दूर्गकोदल	EMRS भंडारडिगी	0	3.58	0	1.00	4.58
45	सूरजपुर	भैयाथान	EMRS शिवप्रसादनगर	0	4.57	0	2.50	7.07
46		प्रतापपुर	EMRS खोरमा	0	4.22	0	1.50	5.72
47		ओडगी	EMRS ओडगी	0	4.20	0	1.50	5.70
48		प्रेमनगर	EMRS पार्वतीपुर	0	3.49	0	1.00	4.49
49	राजनांदगांव	राजनांदगांव	EMRS पेण्डी	0	4.73	0	2.50	7.23
50	मोहला—	मानपुर	EMRS ख्वासफडकी	0	4.31	0	1.50	5.81
51	मानपुर— अं. चौकी	मोहला	EMRS माडिंग फीडिंग धेनु	0	3.56	0	1.00	4.56
52	बालोद	डौंडी	EMRS डौण्डी	0	4.99	0	2.50	7.49
53	बलौदाबाजार	कसडोल	EMRS सोनाखान	0	4.73	0	2.50	7.23
54	महासमुन्द	महासमुन्द	EMRS भोरिंग	0	5.02	0	2.50	7.52
55	धमतरी	नगरी	EMRS पथरीडीह	0	4.98	0	2.50	7.48
56	गौरेला— पेण्ड्रा— मरवाही	मरवाही	EMRS डोंगरिया	0	4.72	0	2.50	7.22
57		पेण्ड्रा	EMRS लाटा	0	4.12	0	1.50	5.62
58		गौरेला	EMRS नेवसा	0	3.55	0	1.00	4.55
59	रायगढ	खरसिया	EMRS छोटमुड़पार	0	4.49	0	2.50	6.99
60		धरमंजयगढ	EMRS बयासी	0	4.09	0	1.50	5.59
61		घरघोडा	EMRS छर्नाटांगर	0	3.60	0	1.50	5.10
62		लैलूंगा	EMRS लैलूंगा	0	2.16	0	1.00	3.16
63	कोरबा	कटघोरा	EMRS छुरीकला	0	4.78	0	2.50	7.28
64		पाली	EMRS लाफा	0	4.27	0	1.50	5.77
65		पोडीउपरोडा	EMRS रामपुर	0	3.60	0	1.50	5.10
66	सक्ती	सक्ती	EMRS पलाडीखुर्द	8.25	4.91	0	2.50	15.66
67	बलरामपुर	बलरामपुर	EMRS भेलवाडीह	0	4.60	0	2.50	7.10
68		कुसमी	EMRS रामनगर	0	4.22	0	1.50	5.72
69		वाङ्गफनगर	EMRS बरतीकला	0	4.24	0	1.50	5.74
70		राजपुर	EMRS डांडखडुवां	0	3.50	0	1.50	5.00
71		शंकरगढ	EMRS डीपाडीह	0	3.55	0	1.00	4.55
72		रामचंद्रपुर	EMRS नवापारा	0	3.54	0	1.00	4.54
73	मुंगेली	लोरमी	EMRS बंधवा	0	5.00	40.00	2.50	47.50

क.	जिले का नाम	विकासखंड का नाम	विद्यालय का नाम	कर्मचारी वेतन भत्ता	प्रत्यक्ष व्यय अंतर्गत मेस संचालन के अतिरिक्त अन्य मद हेतु	विद्यालय संचालन पर व्यय अंतर्गत केवल विद्युत व्यय हेतु	शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियां	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	गरियाबंद	छुरा	EMRS कोसमबुड़ा	0	4.98	0	2.50	7.48
75		मैनपुर	EMRS देहागुड़ा	0	3.53	0	1.50	5.03
		योग		30.25	302.16	71.00	124.50	527.91

(शब्दों में राशि रुपये पांच करोड़ सत्ताईस लाख इंक्यानवे हजार मात्र)

आवंटन की शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. भारत सरकार, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली के पत्र क्रमांक NESTS/Finance/EMRSSocietiesfinance/160/2021-22 दिनांक 15.11.2022 द्वारा जारी मदवार ब्रेकअप अनुसार राशि व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।
2. भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, NESTS, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/F.NESTS/Finance/EMRSSocietiesFinance/160/2021-22, दिनांक 15.10.2024 द्वारा जेम पोर्टल के संबंध में जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।
3. भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के Government e-Marketplace (GEM पोर्टल) माध्यम से दर्शित सामग्रियों का क्रय किया जाना सुनिश्चित करें।
4. प्रत्यक्ष व्यय अंतर्गत मेस संचालन, गणवेश कपड़ा एवं ब्लेजर के अतिरिक्त अन्य मद यथा गणवेश सिलाई, स्कूल बैग, टाई, बेल्ट, जूता, मोजा, टीशर्ट, लोवर, ट्रेक शूट, दैनिक उपयोग की सामग्री, पुस्तक, कॉपिया, लेखन सामग्री आदि में हुये व्यय हेतु राशि आवंटित की जा रही है, जिसका कार्यालयीन पत्र क्रमांक/EMRS/G-35/2023-24/9483, दिनांक 28.11.2023 के पृ.क्र. 5 पर दर्शित कंडिका 12-“विद्यार्थियों के लिये “विद्यार्थियों पर प्रत्यक्ष व्यय” अंतर्गत मेस संचालन के अतिरिक्त अन्य मदों हेतु निर्धारित सीमा के भीतर ही व्यय किया जाये।
5. विद्यालय संचालन पर व्यय मदांतर्गत आवंटित राशि में से बिजली बिल का प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाये।
6. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा जारी “सामान्य वित्तीय नियमावली 2017” में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार तथा द्वारा समय-समय पर जारी सामग्री क्रय हेतु निर्धारित भंडार क्रय नियमों एवं वित्तीय निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
7. उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु आवंटित की जा रही है, जिस मद में राशि आवंटित की गई है उसी मद में ही व्यय किया जावे अन्यथा वित्तीय अनियमितता मानते हुए कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
8. आवंटित राशि जिस खाते में हस्तांतरित की जा रही है उसी खाते से केवल PFMS के माध्यम से ही राशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित करें। अन्य माध्यमों से व्यय किये जाने पर वित्तीय अनियमितता मानते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
9. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिये जारी की गई राशि प्राचार्य एवं सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के माध्यम से कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात् व्यय की जायेगी।
10. प्रत्येक माह का मासिक व्यय पत्रक मदवार निर्धारित प्रपत्रों में भेजना सुनिश्चित करें।
11. प्रदायित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त/पदेन सचिव द्वारा अनुमोदित)

(आनंद तिवारी)
वित्त नियंत्रक

अदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/EMRS/370/2024-25/9436

नवा रायपुर दिनांक 04/12/2024

प्रतिलिपि :-

1. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर/अध्यक्ष, जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, जिला-..... (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी, एकलव्य शाखा (लेखा) मुख्यालय, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राशि संबंधित विद्यालय के संयुक्त खाते में PFMS के माध्यम से हस्तांतरित कराना सुनिश्चित करें।
4. आहरण एवं सवितरण अधिकारी, मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सहायक आयुक्त/सदस्य सचिव, आदिवासी विकास एवं जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला-.....(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयजिला(छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।


वित्त नियंत्रकआदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय आयुक्त/पदेन सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
(भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित)

ब्लॉक 4 डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

website - tribal.cg.gov.in

☎ - 2263708 Fax - 2262558

E mail - eklavya.ctd@gmail.com

क्रमांक/EMRS/370/2024-25/ 12589

रायपुर दिनांक 5/02/2025

—:: स्वीकृति आदेश ::—

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली द्वारा शिक्षण सत्र 2024-25 में प्रदेश में 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। शिक्षण सत्र 2024-25 के अंतिम तिमाही में विद्यालय संचालन हेतु नीचे दर्शित तालिका अनुसार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के समक्ष कॉलम नं. 11 में दर्शित कुल राशि रुपये 20,00,85,000/- (शब्दों में राशि रुपये बीस करोड़ पचासी हजार मात्र) PFMS के माध्यम से संबंधित विद्यालयों को निम्नानुसार आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्रं.	जिला	विकासखंड	विद्यालय का नाम	वेतन भत्ता	प्रत्यक्ष व्यय		विद्यालय संचालन पर व्यय	शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियां	पूँजीगत मद	कुल स्वीकृत राशि
					मेस संचालन हेतु	मेस के अतिरिक्त अन्य मद हेतु				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जगदलपुर	बकावण्ड	EMRS करपावण्ड	30.00	24.96	0	5.00	0.50	2.00	62.46
2		बस्तर	EMRS बेसोली	1.00	24.00	0.37	5.00	0	2.00	32.37
3		तोकापाल	EMRS मेटावाडा	4.50	20.25	0	3.00	0	1.50	29.25
4		लोहाडीगुडा	EMRS गधियों	5.00	14.81	2.00	3.00	0.50	1.50	26.81
5		बास्तानार	EMRS कोडेनार	8.00	17.30	3.00	5.00	0.50	1.50	35.30
6		दरभा	EMRS छिंदवाडा	3.00	17.52	0	5.00	0	1.50	27.02
7	कबीरधाम	बोडला	EMRS तरेगांव जंगल	30.00	20.21	0	5.00	0.50	2.00	57.71
8	कांकेर	अंतागढ़	EMRS लाम्कन्हार	10.00	5.00	0	1.00	0.50	2.00	18.50
9		कांकेर	EMRS अंजनी	0	21.48	0	5.00	0	1.50	27.98
10		नरहरपुर	EMRS सुरही	4.40	7.26	0	0	0	1.50	13.16
11		भानुप्रतापपुर	EMRS फरासकोट	0	14.86	0	0	0	1.50	16.36
12	दंतेवाड़ा	दूर्गकोंदल	EMRS भंडारडिगी	0	14.25	0	0	0.50	1.50	16.25
13		कटेकल्याण	EMRS कटेकल्याण	20.00	5.40	1.50		0	2.00	28.90
14		दंतेवाड़ा	EMRS दंतेवाड़ा	4.00	4.00	1.50	1.00	0	1.50	12.00
15		गीदम	EMRS हड़म	9.30	14.27	2.50	4.00	0.50	1.50	32.07
16	बीजापुर	कुआकोण्डा	EMRS कुआँकोण्डा	6.00	12.55	2.00	5.00	0.50	1.50	27.55
17		भैरमगढ़	EMRS भैरमगढ़	2.50	24.84	2.00	5.00	0.50	2.00	36.84
18		बीजापुर	EMRS बीजापुर	1.50	21.48	0	2.00	0.50	1.50	26.98
19		उसूर	EMRS दुर्गईगुडा	0	17.52	2.00	1.50	0.70	1.50	23.22
20	नारायणपुर	भोपालपट्टनम	EMRS रुद्राराम	0	18.00	1.50	3.00	0.70	1.50	24.70
21		नारायणपुर	EMRS छेरीबेडा	0	10.00	0	4.00	0.50	2.00	16.50
22		ओरछा	EMRS छोटेडोंगर	0	20.10	0	8.00	0.50	1.50	30.10
23	सुकमा	सुकमा	EMRS सुकमा	5.00	22.91	2.00	3.00	0	2.00	34.91
24		कोटा	EMRS एरबोर	3.00	9.50	1.50	1.00	0	1.50	16.50
25		छिंदगढ़	EMRS बलातीकरा	1.00	15.50	3.00	5.00	0	1.50	26.00
26	कोण्डागांव	कोण्डागांव	EMRS गोलावंड	1.10	0	0	0	0	2.00	3.10
27		फरसगांव	EMRS चिचाडी	3.30	17.80	0.80	1.00	0	1.50	24.40
28		केशकाल	EMRS बेडमा	6.00	10.89	3.00	11.00	0.50	1.50	32.89
29		बड़ेराजपुर	EMRS कोरगांव	0	17.94	0	0	0	1.50	19.44
30	कोरिया	माकडी	EMRS माकडी	0	8.00	0	2.00	0.50	1.50	12.00
31		खडगांव	EMRS पोडीडीह	8.50	24.42	0	8.00	0.50	2.00	43.42
32		सोनहत	EMRS घुघरा	3.00	8.85	0	8.00	0.80	1.50	22.15
33		भरतपुर	EMRS जमथान	0	18.00	3.00	0	0.60	1.50	23.10

क्र.	जिला	विकासखंड	विद्यालय का नाम	वेतन भत्ता	प्रत्यक्ष व्यय		विद्यालय संचालन पर व्यय	शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियां	पूँजीगत मद	कुल स्वीकृत राशि
					मेस संचालन हेतु	मेस के अतिरिक्त अन्य मद हेतु				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	जशपुर	बगीचा	EMRS सन्ना	10.00	24.60	0	0	1.00	2.00	37.60
35		जशपुर	EMRS घोलेंग	0	8.96	1.50	0	0	1.50	11.96
36		कांसाबेल	EMRS दुढरुडांड	0	18.00	0	0	0	1.50	19.50
37		पथलगांव	EMRS सुखरापारा	0	12.63	1.00	0	0	1.50	15.13
38		फरसाबहार	EMRS फरसाबहार	0	6.71	0.80	0	0	1.50	9.01
39		मनोरा	EMRS मनोरा	0	3.60	0	1.70	0	1.00	6.30
40	सरगुजा	मैनपाट	EMRS कमलेश्वरपुर	0	23.22	0	7.00	1.00	2.00	33.22
41		उदयपुर	EMRS रीखी	1.50	19.98	0.50	5.00	1.00	1.50	29.48
42		बतौली	EMRS शिवपुर	5.00	15.07	3.00	5.00	0.40	1.50	29.97
43		सीतापुर	EMRS पेतला	9.00	13.93	1.50	7.00	0.50	1.50	33.43
44		लूण्ड्रा	EMRS लूण्ड्रा	4.50	10.00	1.00	5.00	1.00	1.00	22.50
45	सूरजपुर	भैयाथान	EMRS शिवप्रसादनगर	4.00	18.40	0	2.00	0.50	2.00	26.90
46		प्रतापपुर	EMRS खोरमा	0	21.12	0	3.50	0.50	1.50	26.62
47		ओडगी	EMRS ओडगी	0	21.00	0	3.50	0.50	1.50	26.50
48		प्रेमनगर	EMRS पार्वतीपुर	0	17.46	0	2.00	0	1.50	20.96
49	राजनांदगांव	राजनांदगांव	EMRS पेण्ड्री	0	15.00	0	7.00	0	2.00	24.00
50	मोहला—मानपुर—चौकी	मानपुर	EMRS ख्वासफडकी	8.00	17.00	2.00	3.00	0.50	1.50	32.00
51		मोहला	EMRS माडिंग फीडिंग धेनु	4.50	17.82	2.50	3.50	0.50	1.50	30.32
52	बालोद	डौंडी	EMRS डौण्डी	0	24.96	0	7.00	0	2.00	33.96
53	बलीदाबाजार	कसडोल	EMRS सोनाखान	0	23.64	0	1.00	0	2.00	26.64
54	महासमुन्द	महासमुन्द	EMRS भोरिंग	2.00	25.08	0	7.00	0.50	2.00	36.58
55	धमतरी	नगरी	EMRS पथरीडीह	0	22.00	5.50	5.50	1.00	2.00	36.00
56	गौरला—पेण्ड्रा—मरवाही	मरवाही	EMRS डोंगरिया	1.20	23.58	0	9.50	0.50	2.00	36.78
57		पेण्ड्रा	EMRS लाटा	0	11.58	2.00	5.00	0.50	1.50	20.58
58		गौरला	EMRS नेवसा	2.00	15.00	1.50	3.00	0.50	1.50	23.50
59	रायगढ़	खरसिया	EMRS छोटेमुडपार	15.00	22.44	0	0	0	2.00	39.44
60		घरमंजयगढ़	EMRS बयासी	0	10.50	3.00	0	0	1.50	15.00
61		घरघोड़ा	EMRS छर्टांगर	6.00	15.43	2.50	5.00	0	1.50	30.43
62		लैलूंगा	EMRS लैलूंगा	0	10.00	0	0	0	1.50	11.50
63	कोरवा	कटघोरा	EMRS छुरीकला	0	23.88	3.00	8.50	0	2.00	37.38
64		पाली	EMRS लाफा	0.50	15.16	1.00	0	0.40	1.50	18.56
65		पोडीउपरोड़ा	EMRS रामपुर	0	18.00	2.00	5.00	1.00	1.50	27.50
66	सक्ती	सक्ती	EMRS पलाडीखुर्द	0.73	24.54	2.00	7.00	0	2.00	36.27
67	बलरामपुर	बलरामपुर	EMRS भेलवाडीह	10.00	22.98	3.00	6.00	0	2.00	43.98
68		कुसमी	EMRS रामनगर	3.00	18.25	0	0	0	1.50	22.75
69		वाडफनगर	EMRS बरतीकला	4.00	21.18	3.00	5.00	0.50	1.50	35.18
70		राजपुर	EMRS डांडखडुवां	0.00	15.70	0	5.00	0	1.50	22.20
71		शंकरगढ़	EMRS डीपाडीह	0.90	17.76	0	2.00	0	1.50	22.16
72		रामचंद्रपुर	EMRS नवापारा	1.50	11.22	0	3.00	0	1.50	17.22
73	गरियाबंद	छुरा	EMRS कोसमबुड़ा	3.50	24.90	4.50	9.00	0	2.00	43.90
74		मैनपुर	EMRS देहागुड़ा	0	12.00	0	0	0	1.50	13.50
75	मुंगेली	लोरमी	EMRS बंधवा	1.50	25.00	0	6.00	0	2.00	34.50
			योग	268.43	1243.15	78.47	264.20	22.60	124.00	2000.85

(शब्दों में राशि रुपये बीस करोड़ पचासी हजार मात्र)

आवंटन की शर्तें निम्नानुसार है :-

- भारत सरकार, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली के पत्र क्रमांक NESTS/Finance/EMRSSocietiesfinance/160/2021-22दिनांक 15.11.2022 द्वारा जारी मदवार ब्रेकअप अनुसार राशि व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।

2. भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, NESTS, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/F.NESTS/Finance/EMRSSocietiesFinance/160/2021-22, दिनांक 15.10.2024 द्वारा जेम पोर्टल के संबंध में जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।
3. भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के Government e-Marketplace (GEM पोर्टल) माध्यम से दर्शित सामग्रियों का क्रय किया जाना सुनिश्चित करें।
4. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा जारी "सामान्य वित्तीय नियमावली 2017" में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार तथा द्वारा समय-समय पर जारी सामग्री क्रय हेतु निर्धारित भंडार क्रय नियमों एवं वित्तीय निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
5. "विद्यालय संचालन पर व्यय" मदांतर्गत आवंटित राशि में से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास के लंबित विद्युत देयकों का प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाये।
6. पूंजीगत मद में आवंटित राशि में से इलेक्ट्रिकल उपकरण यथा पंखा, ट्यूबलाईट, ईमरजेंसी एल.ई.डी बल्ब, आर.ओ.वाटर, म्यूजिकल इन्स्ट्रुमेंट यथा तबला, हारमोनियम, किचन सामग्री यथा थाली, गिलास, कुकर, गंज, कढ़ाई, क्रीड़ा संबंधी सामग्री, लाईब्रेरी एवं लैब संबंधित सामग्रियों इत्यादि का प्राथमिकता के आधार पर क्रय संबंधी शासन द्वारा जारी नियम-निर्देशों के तहत क्रय किया जावे।
7. उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु आवंटित जिस मद में राशि आवंटित की गई है उसी मद में ही व्यय किया जावे अन्यथा वित्तीय अनियमितता मानते हुए कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
8. आवंटित राशि जिस खाते में हस्तांतरित की जा रही है उसी खाते से केवल PFMS के माध्यम से ही राशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित करें। अन्य माध्यमों से व्यय किये जाने पर वित्तीय अनियमितता मानते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
9. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिये जारी की गई राशि प्राचार्य एवं सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के माध्यम से कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात् व्यय की जायेगी।
10. प्रत्येक माह का मासिक व्यय पत्रक मदवार निर्धारित प्रपत्रों में भेजना सुनिश्चित करें।
11. प्रदायित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त/पदेन सचिव द्वारा अनुमोदित)

(ज्योतिषा कूर शोरी)
संयुक्त संचालक (वित्त)

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़
नवा रायपुर दिनांक 5 / 02 / 2024

पृ. क्रमांक/EMRS/370/2024-25/ 12590

प्रतिलिपि :-

1. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर/अध्यक्ष, जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, जिला-..... (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी, एकलव्य शाखा (लेखा) मुख्यालय, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राशि संबंधित विद्यालय के संयुक्त खाते में PFMS के माध्यम से हस्तांतरित कराना सुनिश्चित करें।
4. आहरण एवं सवितरण अधिकारी, मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सहायक आयुक्त/सदस्य सचिव, आदिवासी विकास एवं जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला-..... (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जिला (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त संचालक (वित्त)
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय आयुक्त/पदेन सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति

(भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित)

ब्लॉक 4 डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

website - eklavya.cg.nic.in

☎ - 2263708 Fax - 2262558

E mail - eklavya.ctd@gmail.com

क्रमांक/EMRS/370/2024-25/1470

रायपुर दिनांक 06/03/2025

—: स्वीकृति आदेश —:

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली द्वारा शिक्षण सत्र 2024-25 में प्रदेश में 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। कार्यालयीन पत्र क्रमांक/EMRS/370/2024-25/13470, दिनांक 21.02.2025 द्वारा विद्यालयों से प्राप्त मांग के आधार पर शिक्षण सत्र 2024-25 में नीचे दर्शित तालिका अनुसार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के समक्ष कॉलम नं. 09 में दर्शित कुल राशि रुपये 4,48,19,000/- (शब्दों में राशि रुपये चार करोड़ अड़तालीस लाख उन्नीस हजार मात्र) PFMS के माध्यम से संबंधित विद्यालयों को निम्नानुसार आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(राशि रुपये लाख में)

क्रं.	जिला	विकाराखंड	विद्यालय का नाम	वेतन भत्ता	मेस के अतिरिक्त अन्य मद हेतु	विद्यालय संचालन पर व्यय	शैक्षणिक एवं राह शैक्षणिक गतिविधियां	कुल स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जगदलपुर	बकावण्ड	EMRS करपावण्ड	0	0	4.00	2.00	6.00
2		बस्तर	EMRS बेसोली	0	0	3.50	0	3.50
3		तोकापाल	EMRS मेटावाड़ा	0	0	10.29	0	10.29
4		लोहांडीगुड़ा	EMRS गधियों	0	0	2.00	1.50	3.50
5		बास्तानार	EMRS कोडेनार	0	0	15.00	0.50	15.50
6		दरभा	EMRS छिंदवाड़ा	0	0	15.00	0.50	15.50
7	कबीरधाम	बोडला	EMRS तरेगांव जंगल	10.00	0	0	0	10.00
8	कांकेर	भानुप्रतापपुर	EMRS फरासकोट	0	0	5.00	0	5.00
9		दूर्गकोदल	EMRS भंडारडिगी	0	0	0	1.50	1.50
10	दंतेवाड़ा	कटेकल्याण	EMRS कटेकल्याण	0	0	5.00	3.00	8.00
11		दंतेवाड़ा	EMRS दंतेवाड़ा	0	0	7.00	0	7.00
12		गीदम	EMRS हड़म	0	0	7.00	0.50	7.50
13	बीजापुर	भैरमगढ़	EMRS भैरमगढ़	0	0	3.00	1.50	4.50
14		बीजापुर	EMRS बीजापुर	0	0	3.00	1.00	4.00
15		उसूर	EMRS दुर्गईगुड़ा	0	0	2.00	7.00	9.00
16		भोपालपटनम	EMRS रुद्राराम	0	0	5.00	5.00	10.00
17	नारायणपुर	नारायणपुर	EMRS छेरीबेड़ा	0	0	5.00	2.00	7.00
18		ओरछा	EMRS छोटेडोंगर	0	0	5.00	1.00	6.00
19	सुकमा	सुकमा	EMRS सुकमा	3.00	0	1.00	0	4.00
20		कौंटा	EMRS एराबोर	0	0	25.00	0	25.00
21		छिंदगढ़	EMRS बलातीकरा	0	0	22.00	0	22.00
22	कोण्डागांव	फरसगांव	EMRS चिचाड़ी	0	0	5.00	0	5.00
23		बड़ेराजपुर	EMRS कोरगांव	0	0	10.00	0	10.00
24	एम.सी.बी.	खड़गवां	EMRS पोड़ीडीह	3.00	0	20.00	1.50	24.50
25		भरतपुर	EMRS जमथान	0	0	3.00	1.00	4.00
26	जशपुर	मनोरा	EMRS मनोरा (धेंगनी)	0	2.30	1.00	0	3.30

क्र.	जिला	विकासखंड	विद्यालय का नाम	वेतन भत्ता	मेस के अतिरिक्त अन्य मद हेतु	विद्यालय संचालन पर व्यय	शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियां	कुल स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	सरगुजा	मैनपाट	EMRS कमलेश्वरपुर	0	0	7.00	1.50	8.50
28		उदयपुर	EMRS शीखी	1.10	0	5.00	1.00	7.10
29		बतौली	EMRS शिवपुर	0	0	5.00	1.00	6.00
30		सीतापुर	EMRS पेतला	1.00	0	8.00	1.50	10.50
31		लूण्ड्रा	EMRS लूण्ड्रा	1.00	0	5.00	1.00	7.00
32	सूरजपुर	प्रतापपुर	EMRS खोरमा	0	0	5.00	0	5.00
33	राजनांदगांव	राजनांदगांव	EMRS पेण्डी	0	0	5.00	0	5.00
34	मोहला—	मानपुर	EMRS ख्यासफड़की	0	0	17.00	0	17.00
35	मानपुर— अं चौकी	मोहला	EMRS माडिंग फीडिंग धेनु	0	0	17.00	0	17.00
36	बालोद	डौंडी	EMRS डौण्डी	0	0	6.00	0	6.00
37	महासमुन्द	महासमुन्द	EMRS भोरिंग	0	0	30.00	1.00	31.00
38	गौरेला—	मरवाही	EMRS डोंगरिया	0	0	7.00	1.00	8.00
39	पेण्डी—	पेण्डी	EMRS लाटा	1.00	0	3.00	1.50	5.50
40	मरवाही	गौरेला	EMRS नेवसा	0	0	4.00	1.00	5.00
41	रायगढ़	लौलूंगा	EMRS लौलूंगा	0	0	3.00	0	3.00
42	कोरबा	कटघोरा	EMRS छुरीकला	0	0	14.00	0	14.00
43		पोड़ीउपरोड़ा	EMRS रामपुर	0	0	8.00	1.00	9.00
44	सवती	सवती	EMRS पलाड़ीखुर्द	0	0	8.00	0	8.00
45	बलारामपुर	बलारामपुर	EMRS भेलवाडीह	0	0	6.00	0	6.00
46		वाड़फनगर	EMRS बरतीकला	1.00	0	8.00	0	9.00
47		राजपुर	EMRS डांडखडुवां	0	0	2.00	0	2.00
48		शंकरगढ़	EMRS डीपाडीह	0	0	2.00	0	2.00
49		रामचंद्रपुर	EMRS नवापारा	0	0	3.00	0.50	3.50
50	गरियाबंद	छुरा	EMRS कोसमबुड़ा	0	0	9.00	1.50	10.50
51		मैनपुर	EMRS देहारगुड़ा	0	0	0	1.00	1.00
52	मुंगेली	लोरमी	EMRS बंधवा	0	0	10.00	0	10.00
			योग	21.10	2.30	380.79	44.00	448.19

(शब्दों में राशि रुपये चार करोड़ अड़तालीस लाख उन्नीस हजार मात्र)

आवंटन की शर्तें निम्नानुसार है :-

1. भारत सरकार, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली के पत्र क्रमांक NESTS/Finance/EMRSSocietiesfinance/160/2021-22 दिनांक 15.11.2022 द्वारा जारी मदवार ब्रेकअप अनुसार राशि व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।
2. भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, NESTS, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/F.NESTS/Finance/EMRSSocietiesFinance/160/2021-22, दिनांक 15.10.2024 द्वारा जेम पोर्टल के संबंध में जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।
3. भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के Government e-Marketplace (GEM पोर्टल) माध्यम से दर्शित सामग्रियों का क्रय किया जाना सुनिश्चित करें।

4. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा जारी "सामान्य वित्तीय नियमावली 2017" में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार तथा द्वारा समय-समय पर जारी सामग्री कय हेतु निर्धारित भंडार कय नियमों एवं वित्तीय निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
 5. "विद्यालय संचालन पर व्यय" मदांतर्गत आवंटित राशि में से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास के लंबित विद्युत देयकों का प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।
 6. उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु आवंटित जिस मद में राशि आवंटित की गई है उसी मद में ही व्यय किया जावे अन्यथा वित्तीय अनियमितता मानते हुए कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
 7. आवंटित राशि जिस खाते में हस्तांतरित की जा रही है उसी खाते से केवल PFMS के माध्यम से ही राशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित करें। अन्य माध्यमों से व्यय किये जाने पर वित्तीय अनियमितता मानते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
 8. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिये जारी की गई राशि प्राचार्य एवं सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के माध्यम से कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात् व्यय की जायेगी।
 9. प्रत्येक माह का मासिक व्यय पत्रक मदवार निर्धारित प्रपत्रों में भेजना सुनिश्चित करें।
 10. प्रदायित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना सुनिश्चित करें।
- (आयुक्त/पदेन सचिव द्वारा अनुमोदित)

(रुद्र प्रताप सिंह चौहान)
वित्त नियंत्रक

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़
नवा रायपुर दिनांक 06/03/2024

पृ. क्रमांक/EMRS/370/2024-25/14241

प्रतिलिपि :-

1. **स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।**
2. **कलेक्टर/अध्यक्ष, जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, जिला-..... (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**
3. **प्रभारी अधिकारी, एकलव्य शाखा (लेखा) मुख्यालय, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राशि संबंधित विद्यालय के संयुक्त खाते में PFMS के माध्यम से हस्तांतरित कराना सुनिश्चित करें।**
4. **आहरण एवं सवितरण अधिकारी, मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**
5. **सहायक आयुक्त/सदस्य सचिव, आदिवासी विकास एवं जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला-.....(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**
6. **प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयजिला(छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

(सुनील)
वित्त नियंत्रक
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़